<u>कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।</u>

यू0आई0डी0 न0: 2017/39149/शाह0/शाहजहाँपुर/500/जे0डी0 1/10/26/2018 दिनांक:जनवरी 4 2018
सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
डा0 जी0एल0 कन्नोजिया पब्लिक स्कूल,
हुण्डालखेल, जनपद शाहजहाँपुर।

विषय: हुण्डालखेल, जनपद शाहजहाँपुर पर निर्मित डा0 जी0एल0 कन्नोजिया पब्लिक स्कूल, भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक:शून्य दिनांक:शून्य

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत विद्यालय भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण गठित कमेटी **प्रबन्धक डा0 जी0एल0 कन्नोजिया पब्लिक स्कूल, श्री यदुनाथ सिंह अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर एवं श्री रेहान अली मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तो उनकी संयुक्त निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक:29.12.2017 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन आख्या दिनांक:03.01.2018** का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:-

1-भवन की संरचना-

1- कुल भूखण्ड ऐरिया-8246.84 वर्गमीटर।
2- निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया-1997.79 वर्गमीटर।
3- निर्मित प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-1611.85 वर्गमीटर।
4- निर्मित द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया-1611.85 वर्गमीटर।
5- भवन की ऊँचाई-10.50 मीटर।

2-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की **शैक्षिक** श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

3-ढाँचागत व्यवस्थाऐं-

1-पहुँचमार्ग- प्रश्नगत भवन के सामने **18.65** मीटर चौडी रोड उपलब्ध है।
2-प्रवेश द्वार- प्रश्नगत भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई-**5.00** मीटर है।

4--सैटबैक-

अ:- अग्रभाग- **शून्य।**
ब:- पृष्ठभाग- **42.65 मीटर।**
स:- पार्श्व-।- **शून्य।**
द:- पार्श्व-।।-**शून्य।**

नोट:- गठित कमेटी की आख्या के अनुसार उक्त **प्रश्नगत भवन वर्ष-2005 से पूर्व का निर्मित होने के कारण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्रस्तर-3.11.3.1 (iii) एवं शासनादेश संख्या:2688/छ:-पु0-08-2008 दिनांक:20.11.2008 के अनुसार पहुँच मार्ग, सैटबैक एवं निकास की आवश्यकतायें** एवं फायर एस्केप की छूट की परिधि के अर्न्तगत आता है।

क्रमश:-02

PRINCIPAL
Dr. G. L. Kanojia Public School
Shahjahanpur

4–**निकास मार्गः**–प्रश्नगत भवन में <u>**04 अदद**</u> स्टेयरकेश जिनमें 01 अदद स्टेयरकेश की चौडाई–2.00 मीटर व 03 अदद स्टेयरकेश की चौडाई–1.10 मीटर है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है।

<u>**6–अग्नि सुरक्षा व्यवस्था**</u>–निर्मित भवन में एन0बी0सी0–2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कियाशील दशा में उपलब्ध पायी गयीः–

<u>**6–अग्नि सुरक्षा व्यवस्था**</u>–निर्मित भवन में एन0बी0सी0–2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कियाशील दशा मे उपलब्ध पायी गयीः–

1–**हौजरीलः**– प्रश्नगत भवन में हौजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.–884 मानकों के अनुसार।

2–**टैरिस टैंकः**–प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक <u>**10,000 लीटर**</u> क्षमता एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार।

3–**टेरिस पम्प**–प्रश्नगत भवन के टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता–<u>**450 एल0पी0एम0**</u> एन0बी0सी0 के अनुसार।

4–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः**–प्रशनगत विद्यालय भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0:2190 के अनुसार ।

5–**एक्जिट साइनेजः**–प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज मानकों के अनुसार।

6–**पी0ए0 सिस्टमः**–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर <u>**हुण्डालखेल, जनपद शाहजहाँपुर पर निर्मित डा0 जी0एल0 कन्नोजिया पब्लिक स्कूल, भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र**</u> **निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है :–**

1– प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।

2– प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी त्रुटि का निवारण किया जाये ।

4– प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्वेशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये।

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेंशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

6– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

<u>**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।**</u>

1– उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।
2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर।
3– मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर।
4– अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर।

(अरविन्द कुमार)
क्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

PRINCIPAL
Dr. G. L. Kanojia Public School
Shahjahanpur